

03.02.2026

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री शैतानसिंह भाटी उपस्थित। अप्रार्थी को जारी नोटिस की तामिली/अदम तामिली रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण को प्रार्थी अधिवक्ता आगे नहीं चलाना चाहते हैं एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थना पत्र को Not Press किया गया है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र जरिए Not Press खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



(अल्पा चौधरी)

जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही